अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नोपाराम बनाम **सुरजाराम आदि**

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 03/2017 **निर्णय दिनांक– 01.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 157 रकबा 0.34 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 307 व 308 वाके ग्राम डोटासरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. नोपाराम पुत्र भोजाराम जाति मेघवंशी सा. देह	308 मि.	0.03 हैक्टेयर	बा.–1	0.15
2. राजस्थान सरकार (मकबूजा सरकार)	308 मि.	0.06 हैक्टेयर	गै.मु. रास्ता	–
3. शेष खाता बदस्तूर (नोपाराम के हिस्से को छोड़कर) हि. 7/8 बदस्तूर	308 मि. 307 मि.	0.24 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर	बा.–1 बा.–1	1.47 0.06
	किता– 2	0.25 हैक्टेयर	–	1.53

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.05.2018 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– पाटोदा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– पाटोदा

01.05.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प पाटोदा में पेश हुई। वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण सं. 3, 7 व 9 की तलबी शेष थी। उक्त को लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोंटिस जारी करने पर प्रतिवादी सं. 3 व 7 पर विधिवत तामील हो चुकी है। प्रति. सं. मुतबिक तामील कुनींदा रिपोर्ट के फौत हो चुका है। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/14 दिनांक 01.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खसरा सं. 157 रकबा 0.34 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 307 व 308 वाके ग्राम डोटासरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–	

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. नोपाराम पुत्र भोजाराम जाति मेघवंशी सा. देह	308 मि.	0.03 हैक्टेयर
2. राजस्थान सरकार (मकबूजा सरकार)	308 मि.	0.06 हैक्टेयर
3. शेष खाता बदस्तूर (नोपाराम के हिस्से को छोड़कर) हि. 7/8 बदस्तूर)	308 मि. 307 मि.	0.24 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर
	किता– 2	0.25 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official